प्रैस नोट

दिनांक- 26.02.2021

गैंगस्टर में वांछित 20,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी रवि व उसका साथी करनपाल अवैध असलहा मय कारतूस सहित थाना अरनिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार जनपद मे चलाये जा रहे अपराधियो के विरुद्ध अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक देहात श्री हरेन्द्र कुमार के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी खुर्जा श्री सुरेश कुमार के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक आज दिनांक 26.02.2021 को प्रभारी निरीक्षक थाना अरनिया श्री अल्ताफ अंसारी मय पुलिस टीम के क्षेत्र में देख-रेख शान्ति व्यवस्था तलाश वांछित अपराधी एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गैंगस्टर में वांछित एक पुरस्कार घोषित अपराधी रवि अपने एक अन्य साथी के साथ ठैगोरा व ग्राम मदकौला के बीच जंगल के किनारे बने पीर बाबा के पास खड़ा है जिसके पास अवैध असलहा भी है। इस सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक थाना अरनिया मय पुलिस टीम के मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पीर बाबा के पास पहुँचकर घेराबन्दी कर दोनो अभियुक्तों को समय करीब 11.15 बजे अवैध असलहा मय कारतूस, छुरा सहित गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1- रवि पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम ढकपुरा थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

2- करनपाल उर्फ केपी पुत्र रामदयाल निवासी सुरजपुर थाना चंडौस जनपद अलीगढ़।

बरामदगी का विवरण-

1- 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस

2- 01 छुरा नाजायज

अभियुक्त रवि शातिर किस्म का ठग है जिसके द्वारा लोन दिलाने के नाम पर ऑनलाइन लोगो से ठगी की जाती है। गिरफ्तार अभियुक्त रवि थाना अरनिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0-250/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में पिछले काफी समय से लगातार वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा 20,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्त रवि के विरुद्ध जनपद बुलन्दशहर, अलीगढ़ व दिल्ली के विभिन्न थानों पर पर निम्न अभियोग पंजीकृत है-

अभियुक्त रवि का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0-236/16 धारा 147/148/307/452/354/506 भादवि थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

2- मु0अ0सं0-08/17 धारा 420/406/34 भादवि अपराध शाखा दिल्ली।

3- मु0अ0सं0-14/19 धारा 323/324 भादवि थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

4- मु0अ0सं0- 78/19 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

5- मु0अ0सं0- 110/19 धारा 420/406/467/468/471 भादवि व 66 आईटी एक्ट थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़।

6- मु0अ0सं0-250/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

7- मु0अ0सं0-39/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अरनिया पर मु0अ0सं0-39/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 व मु0अ0सं0-40/21 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम-

1- श्री अलताफ अंसारी प्रभारी निरीक्षक थाना अरनिया

2- व0उ0नि0 कामेश कुमार, उ0नि0 विजय राठी

3- का0 रवि कुमार, का0 कपिल कान्त, का0चालक अनिल कुमार